बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०–भवन–स्था०–पदा०–01/2025....311..../पटना, दिनांक 17/9/25

कार्यालय आदेश

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–01/2019 के तहत कनीय अभियंता (असैनिक/विद्युत/यॉंत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं भवन निर्माण विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को क्रमशः विभागीय आदेश संख्या–1153(भ) दिनांक–31.01.2025, आदेश संख्या–1154(भ) दिनांक–31.01.2025, आदेश संख्या–1155(भ) दिनांक–31.01.2025, आदेश संख्या–2903(भ) दिनांक–24.03.2025, आदेश संख्या–5108(भ) दिनांक–05.06.2025 एवं आदेश संख्या–5109(भ) दिनांक–05.06.2025 द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक/विद्युत/यॉंत्रिक) के पद नियुक्त किया गया।

तदुपरांत उक्त नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक/विद्युत/यॉंत्रिक) को क्रमशः विभागीय आदेश संख्या–83–सहपठित ज्ञापांक–2426(भ) दिनांक–11.03.2025, आदेश संख्या–82–सहपठित ज्ञापांक–2425(भ) दिनांक–11.03.2025, आदेश संख्या–84–सहपठित ज्ञापांक–2432(भ) दिनांक–11.03.2025, आदेश संख्या–3328(भ) दिनांक–07.04.2025, आदेश संख्या–3512(भ) दिनांक–16.04.2025 एवं आदेश संख्या–5195(भ) दिनांक–06.06.2025 द्वारा भवन निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित/बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्त/मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया।

उपर्युक्त नियुक्ति आदेश एवं पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति आदेश में सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं को निर्धारित अवधि, जो समाप्त हो चुकी है, तक निश्चित रूप से अपने विभागों/नवपदस्थापित कार्यालयों में योगदान समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था।

उक्त के क्रम में कतिपय नवनियुक्त कनीय अभियंताओं के द्वारा विभिन्न कारणों यथा–पूर्व के नियोक्ता के स्तर से स्वीकृत त्याग–पत्र/विरमन पत्र निर्गत करने में विलम्ब, बीमारी व अन्य बाध्यकारी कारणों का उल्लेख करते हुये योगदान हेतु अवधि विस्तार करने के संबंध में अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया है।

निदेशानुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त नियुक्ति आदेशों एवं पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति आदेशों में दिये गये समयावधि को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–228–सह–पठित ज्ञापांक–6962(भ) दिनांक–24.07.2025 द्वारा दिनांक–15.08.2025 तक विस्तारित किया गया, परन्तु उक्त समयावधि विस्तार अन्तर्गत नवनियुक्त कनीय अभियंता, जिनके द्वारा अबतक योगदान समर्पित नहीं किया गया है, को एक और मौका देते हुए निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक–15.10.2025 तक निश्चित रूप से अपने नवपदस्थापित विभागों/कार्यालयों में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त विस्तारित अवधि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में उक्त कनीय अभियंताओं के अभ्यर्थित्व को रद्द करने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०

C:\Users\HP\Desktop\Work 2025\Vishal Anand\Draft
pg. 255

ज्ञापांकः–भवन–स्था०–पदा०–01 / 2025........................ / पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव, गृह विभाग / सचिव, नगर विकास, बिहार पटना एवं प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–स्था०–पदा०–01 / 2025........................ / पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव / सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक / विद्युत / यॉंत्रिक), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–स्था०–पदा०–01 / 2025........................ / पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–भवन–स्था०–पदा०–01 / 2025 8754 (M) / पटना, दिनांक 17/9/25

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट के Highlights पर भी प्रदर्शित करें।

17/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Work 2025\Vishal Anand\Draft
pg. 256